14.35 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FIFTY-EIGHTH REPORT

Sardar A. S. Saigal (Janjgir): Sir, I beg to move:

"That this House agrees with the Fifty-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th March, 1960."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Fifty-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th March, 1960."

The motion was adopted.

14.36 hrs.

RESOLUTION RE: EVALUATION OF AGRICULTURAL RESEARCH PROGRAMME—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume further discussion of the Resolution moved by Shri Inder J. Malhotra on the 26th February, 1960 regarding Evaluation of Agricultural Research Programme.

Out of two hours allotted for the discussion of the Resolution, one minute has been taken up.

Shri Inder J. Malhotra may continue his speech.

Shri Inder J. Malhotra (Jammu and Kashmir): Mr. Deputy-Speaker, Sir, last time, when I moved the resolution, I was trying to make out the points about the importance of agriculture in our economy. As far as this fact is concerned, it is recognised by all of us in the country. I would not like to say anything more about it.

At the very beginning, I want to submit that my purpose and object in moving this resolution is a very constructive one. My aim is this. For the last so many years, we have been conducting so many agricultural research schemes and programmes. Work is also being done in our various agricultural research institutes. What have we achieved so far? How far have the cultivators been benefited by all these research projects conducted in the various research institutes? If, Sir, by the adoption of this resolution, we have a committee which would represent the two view points, namely, the common one and the technical one, to evaluate all these agricultural research programmes, I feel that the Government and the various agricultural research institutes would benefit a lot.

Keeping in view that we have spent crores of rupees during the last so many years, what has been the result? For what purpose did we spend? We did all that to increase our yield per acre. But if we analyse the wheat yield, Sir, we find that whereas in 1949-50, the wheat yield per acre was 584 pounds in 1957-58, it was 578 pounds per acre. That means in a period of ten years actually the per acre yield of wheat has come down. Certainly, this raises a sort of anxiety and worry in our mind. After all, what is happening with our research programme and what is going on in the various agricultural research institutes in the country? Likewise, if we take the example of rice, in 1949-50, the yield per acre was 688 pounds and in 1957-58, it was 704 pounds per acre. There was only a very insignificant increase of 16 pounds per acre. At a time when we are faced with food deficit....

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): Does not the hon. Member know that 1957-58 was an abnormal year when there was drought all round?

Shri Inder J. Malhotra: That is right, but there is the agricultural research, there are so many other factors which contribute towards increasing the yield. Drought is not the only

factor which can affect the yield per acre in a particular year. What I am trying to make out is this, that in spite of all these abnormalities, definitely, through our agricultural research programmes more good can come out to increase the yield per acre.

Now, I would like to mention here the various observations made by various commissions and committees in the last so many years. If we go back to the year 1928, as early as that, Sir, the Royal Commission on Agriculture in India said:

> "It is essential to the advancement of agricultural research in India that PUSA (IARI) should be brought into closer touch with the provincial departments of agriculture and that the latter should be brought into closer touch with each other."

I have been connected with the IARI as a student. I have worked in the agricultural departments in the States. I have worked in the agricultural departments in the Centre. I know that as far as the recommendations of the Royal Commission on Agriculture are concerned, nothing has been done and no significance has been attached to it. There is no significant co-ordination between the nucleus of the agricultural research centre in our country and the various State or provincial departments of agriculture.

Then I come to the report of Dr. Stewart in 1946. Dr. Stewart observed:

> "A high level committee should examine the whole question of the organisation of research in India, and, in particular, the changes that should be brought about in the existing Commodity Committees and Central Research Institutes and research in universities so that they can answer the increased demands for research that will be made upon them."

Then I come to the report of the Joint Indo-American Team on Agricultural Research and Education. This team made so many recommendations, but I would just mention one of them:

> "The IARI and IVRI, while conducting a substantial amount of very fine research work, are not in a position to function effectively as either leaders in agricultural, veterinary and animal husbandry research in India, or in a co-ordinating capacity for co-operative State-Centre programmes of a regional or national nature. The IARI has no recognised position of leadership or responsibility in relation to the other Central Agricultural Institutes, which are restricted in their scope of research to particular commodity problems. These Central Institutes are individually responsible to different sections or administrative heads in the Ministry of Food and Agriculture. Thus, not even the research supported directly by the Ministry is subject to adequate internal co-ordination."

Then I turn to another report—the Report of the Agricultural Administration Committee, 1958. This Committee has observed as follows:

> "The total research programme under way is inadequate to meet the needs and demands for improved agricultural materials and practices on Indian farms. There is, therefore, a clear necessity for establishing major Research Stations for serving the needs of each agro-climatic region."

It has made another observation as follows:

> "Most of the workers engaged in education or research are burdened with administrative and routine accounting duties to the detriment of their normal research or teaching functions. There should be, therefore, properly trained administrative and accounts staff at least in the agricultural institutions handling an annual expenditure of a few lakhs of rupees."

I come to another report by the Agricultural Production Team which was sponsored by the Ford Founda-

[Shri Inder J. Malhotra]

tion. This report was submitted in April, 1959. This team also observed as follows regarding agricultural research:

"To assure that research is making its proper contribution to food production, an inventory of agricultural research should be made to determine what information may be lacking, what research gaps need to be filled and what new projects should be undertaken."

After all these observations and remarks of the various commissions and committees regarding agricultural research programmes in our country, I need make only one submission, and it is this: that there is a definite need for reviewing this whole question of agricultural research programme in our country.

In my opinion, agricultural research is a two-way project. The basic thing starts from the farmer. The farmer has a problem. He gets into touch with the agricultural research worker. The agricultural research worker takes that problem to the agricultural research laboratory, and the laboratory works out and finds out some control measures or results or some other thing which are required to overcome that problem. Then those recommendations go back to the farmer who applies them on his farm and thus this cycle of two ways is completed. There has got to be a very close contact and very close coordination between the farmer and the agricultural research worker. If there is no close contact between the farmer and the agricultural research worker, the very basic defect lies there. This is a very fundamental thing. Unless there is a very close contact of that person who is going to have or is having problems with the person who is going to solve his problems, how can there be a proper result coming out of all this?

There are the two aspects of agricultural Research programme. First is the technical one and the second is the administrative. In the technical, the first thing is to see how research projects are decided upon and conducted; who is to decide that certain research projects should be undertaken. Definitely, in this very basic thing, the farmer's voice has got to be there. Then the other point is who watched and supervises the projects? Who are the people who work on these projects and conduct research to solve these problems? How is the morale and condition of these research workers who are working on these research projects? These questions, as far as I have studied, are not answered by the present agricultural research programmes in our country. We have recently seen one instance to show what are the conditions of our agricultural research workers in our country. Recently, before this House there was a discussion on a scientific worker as to how and why he committed suicide. That was an indication to our nation about the conditions under which our agricultural research workers are made to work. When such a conditions are prevailing in the nerve and nucleus of agricultural research in our country, how can we expect that some good results are going to be achieved?

In our country we have various organisations which supervise, govern, direct and conduct agricultural research. One is the Indian Council of Agricultural Research. Then there are various central research institutions. If I mistake not, there are nearly 18 to 19—or it may be 20—central research institutions. Then agricultural research is also conducted on various university farms and State college farms. Then there are the State departments of agriculture which undertake certain agricultural research programmes. Then there are the various commodity committees which also have their own research projects. There are other similar organisations also. In all, we have about

seven or eight different kinds and types of organisations in our country which are connected directly or indirectly with agricultural research programmes.

The very basic thing is, there is no co-ordinating body for all these organisations. When so many organisations are involved in agricultural research programmes and if we do not have a co-ordinating body, then the result would be that firstly there would be duplication of work which would mean loss of time, loss of money and loss of manual energy. Secondly, the research information would remain localised. In other words, the information collected after spending a few years on certain research projects on certain farms in certain parts of the country would remain in the shelf. Since there is no co-ordination between one organisation and the other organisation, both would keep their research information in their shelves very nicely locked up. If that research information remains very nicely locked up in the shelves of the various research organisations, what is the use of having so many research organisations in our country?

The Indian Council of Agricultural Research has been working since the last 30 years. But I must say that its action has been only paper action: bringing out annual reports, sanctioning schemes, and mostly concentrating on paper work. In fact, the Indian Council of Agricultural Research has got to and could play a very important role in the co-ordination of work of the various research organisations in the country. I am sorry to say that this desired role has not been played by this Indian Council of Agricultural Research.

I now come to the Indian Agricultural Research Institute. We know and the Government also claims this Institute to be the centre of agricultural research in India. This institute has been working on various research projects for the last 50 years. If the research projects have been conducted conscientiously and on right lines for the last 50 years, definitely the condition of our agriculture in our own country would not be what it is today. The condition would have been certainly better. But since the institute has not been working on the right lines and the research projects have not been conducted on right lines, the result we are seeing today is there is no significant improvement in the agricultural development in any aspect of agriculture in any part of our country.

Whatever work has been done by this institute which it can claim to be a sifinificant one, was all done before 1947, when there were some English people working there on the various research projects. After 1947, as far as I know, I do not think this institute has contributed any significant thing to the agricultural development in our country. For example, I would just quote a very simple thing. There is a very common disease of sugarcane which is known as red-rot. This disease is very detrimental to the sugarcane crop. So many years back the I.A.R.I. recommended as a control measure that the diseased plants should be uprooted. This is a very simple measure which anybody can visualise, *viz.*, if one cannot control a disease in a certain plant, the easiest way is to uproot that plant and throw it away. This is an important disease which affects the sugarcane crop every year in our country. After this recommendation nothing has come out from the I.A.R.I. for controlling this disease.

Wheat is an important crop of our country and loose smut is another disease which attacks this crop every year in all parts of the country. Hot water treatment was recommended about 10 or 15 years ago. 10 years have elapsed and this is an important disease which affects an important crop of our country. I fail to understand what further recommendation to control this important disease has been contributed by the most important research institute in this country. Nothing has been done.

[Shri Inder J. Malhotra]

When the condition is like this and the institute is working like this, definitely the question arises that it is high time that we should have a thorough enquiry into this programme, more especially a thorough enquiry into the affairs of the Indian Agricultural Research Institute and then reorganise our whole programme on better lines. I.A.R.I. has expanded haphazardly after 1947. The question of research has gone into the background. The condition is like this that quite a few have been heads of department getting extensions for so many years one head of department getting his scheme sanctioned by the support of some other head of department. And this is going on for long. The result is that our qualified young men, who get employed there, who have got the initiative and incentive for research work are being discouraged. Unless the conditions are improved and the research workers are given proper encouragement, and the basic required emoluments, the research incentive would die in them and nothing would come out of these research institutes.

In the end, I would only like to submit that this institute has undergone another transformation during last year. This institute has been raised to the level of an agricultural university. There is a very funny situation now. As far as the teaching side of that institute is concerned, that is going to be organised on the lines of American universities and colleges. But as far as the research side is concerned, that is going to remain in a very confused state. In any university or college, especially in a research university, there has got to be complete co-ordination between the teaching staff and the research staff. In fact, the same person who is working on certain research projects is the more qualified person to teach the students about that particular project. I would submit that before any final shape is given to the organisation of this agricultural university, *viz.*, the Indian Agricultural Research Institute, there should be complete co-ordination between the research side and the teaching side.

About the administrative side of the agricultural research programme, I only want to say that during the last so many years, there have been only officialdom, more work on files, more voluminous monthly and annual reports. I would like to know from the hon. Minister about this. If we compare the number of monthly and annual reports turned out every year by the various research organisations, that would be at least five or six times more than the scientific and research papers coming out of all the research organisations. The function of the research institutes and organisations fundamentally is to bring out something of scientific value, not only monthly and annual reports of secretarial value.

With all these submissions, I hope that this House would consider this resolution favourably and I also appeal to the hon. Minister, as I said in the very beginning, that my approach is a constructive one and I hope he would very kindly accept it.

Mr. Deputy-Speaker: Resolution moved:

"This House calls upon the Government to appoint a Committee consisting of Members of Parliament, wellknown agriculturists of the country and agricultural experts to evaluate the Agricultural Research Programme in the country and to suggest ways and means for better co-ordination and improvement."

श्री पद्म देव (चम्बा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग के प्रयत्नों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । । मुझे कई अनुसन्धानशालाओं को ओर कई ऐसे क्षेत्रों को, जहां उन अनुसंधानों को कार्यान्वित किया जा रहा है, देखने का मौका मिला

है । उस से ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि विभाग काफी प्रयत्न कर रहा है इस बात का कि अपने देश में कौन से फल अधिक मात्रा में उपज सकते हैं, किस वायु-मंडल में उपज सकते हैं और कौन कौन से अनाज किस वायु-मंडल में आसानी के साथ अधिक मात्रा में उपज सकते हैं । मुझे इस किस्म के क्षेत्रों को देखने का मौका मिला और जब उन क्षेत्रों की अनुसंधानशालाओं को देखता हूं, तो दिल में काफ़ी आशा बंधती है । और ऐसा प्रतीत होता है कि हम काफी तेजी के साथ आगे जा रहे हैं, और जब आंकड़े पढ़ते हैं हर साल अनाज की उपज के तो उस में भी कुछ वृद्धि नजर आती है । इस के साथ ही यह भी हमारी जनता का बड़ा प्रशंसनीय उत्साह है कि जितना सरकार अधिक अनाज बचाने का प्रयत्न करती है उतना ही अधिक वह पैदा करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि अनाज आसानी से खाया जा सके ।

15 hrs.

आज इस में कोई शक नहीं कि इन सारे प्रयत्नों के बावजूद भी अनाज हमारा देश खरीदता है, और परमात्मा न करे, अगर आज कोई ऐसी घटना हो जाय जिस से अनाज बाहर से न आ सके, या कोई युद्ध ही हो जाय, तो दुश्मन को हमें मारने के लिये अधिक प्रयत्न नहीं कराना होगा । अगर अनाज का आना ही बन्द हो जाय तो ज्यादातर लोग उस से मर सकते हैं । इस लिये आज जब कि हमारा बहुत बड़ा देश है, महान् देश है, राष्ट्रों के अन्दर आज हमारी मान्यता और गण्यता है, तो इस पर विचार करना होगा कि हम अपने देश के अन्दर अनाज के सम्बन्ध में स्वावलम्बी कैसे बनें । यह बहुत बड़ा अभिशाप है और एक कलंक है कि हमारा इतना बड़ा देश रोटी के लिये दूसरों पर निर्भर करे, जबकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर ८० प्रतिशत जनता कृषि के ऊपर अपना निर्वाह करती है । जैसा अभी प्रस्तावक महोदय ने कहा, जहां तक आज हमारी सरकार के, हमारे मंत्रिमण्डल के या हमारे नेताओं के विचार शास्त्र का ताल्लुक है, उस में तो आज त्रुटि है ही नहीं, जहां तक विचारों का सम्बन्ध है वह बाल की खाल उधेड़ता ही चला जा रहा है, आज से नहीं, इस देश की परम्परा रही है इस किस्म की । लेकिन जहां तक काम शास्त्र का ताल्लुक है, उसे कार्य के अन्दर कैसे लाना है . . .

श्री ब्रजराज सिंह : काम शास्त्र ?

श्री पद्म देव : कार्य शास्त्र, कार्य किस तरह करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : काम उन्हों ने उर्दू से लिया और शास्त्र हिन्दी से ।

श्री पद्म देव : मैं उपाध्यक्ष महोदय का आभारी हूं । पता नहीं क्यों हमारे इस सदन के माननीय सदस्य इस का अर्थ काम से ही क्यों लेते हैं । दूसरे अर्थ भी तो लेने चाहियें । उन के दिमाग में काम की बात ही क्यों उठा करती है, यह मेरी समझ में नहीं आता । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक विचारों का कार्यान्वित करने का प्रश्न है, वह हमें आज बहुत कम नजर आता है । इस लिये आज जितने प्रयत्न हमारी सरकार की तरफ से इस देश में हो रहे हैं, हमें जानना चाहिये कि वे सफलीभूत नहीं हो रहे हैं । मैं भी महसूस करता हूं कि काफी बड़ी रिपोर्टें, काफी बड़े विचार देश में प्रचारित और प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि इतना काम हो गया, तो ऐसी बात नजर नहीं आती । इसलिये मैं इस गवर्नमेंट और इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि एक तो यह कि हमारी जो योजनायें दिल्ली में चलती हैं वह सारे देश के लिये एक जैसी

[श्री पद्म देव]

चलती हैं । हिमाचल में आप जाइये, कश्मीर में चले जाइये, आसाम में चले जाइये, दक्षिण में कितनी चीजें होती हैं, आज एक ही प्रकार की योजना पर विचार किया जाता है । इस में कई दफा बड़ा घाटा उठाना पड़ता है । जैसेकि कश्मीर या हिमालय है, उस में अनाज पैदा नहीं होता, फल हो सकते हैं, लकड़ी काफी हो सकती है रिसर्च इस किस्म की होनी चाहिये जोकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों के बारे में हो । जैसे दक्षिण है वहां नारियल ज्यादा पाया जाता है, या चावल है, काफी है, रागी है, इस किस्म की रिसर्च वहां होनी चाहिये जोकि इन को लाभ पहुंचा सके । इसी तरह से कई जगह अनाज नहीं हो सकता, मछलियां हो सकती हैं, या इस किस्म की और चीजें हो सकती हैं जिन से हम देश के लिये किसी तरह से खाद्य काफी मात्रा में बचा सकते हैं, उन के लिये भी इस किस्म की रिसर्च होनी बहुत जरूरी है । हम यहां पर बैठ कर गेहूं के बारे में रिसर्च करते हैं, जो गेहूं यहां पैदा हो सकता है, वह हिमाचल में पैदा नहीं हो सकता । हमारे देश की भिन्न भिन्न स्थिति के लिये भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों का अनुसरण होने की जरूरत है ।

मुझे खुशी है कि हिमाचल में जो हमारा कृषि विभाग चल रहा है उस ने फल की तरफ कुछ अनुसन्धान किये हैं । हर साल २ या ३ लाख नये पौदे फलों के लगाये जाते हैं । दस वर्षों के अन्दर देश देखेगा कि कितना फल हिमाचल प्रदेश पैदा करता है और देश को देता है । इसी तरह से जहां चावल पैदा होता है वहां चावल की ज्यादा रिसर्च की जाय । सारे देश में भिन्न भिन्न वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ पैदा हो सकते हैं वहां के लिये उसी तरह की रिसर्च होने और अनुसन्धान होने की जरूरत है । मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि जो सात या आठ योजनायें इस वक्त चली हुई हैं वह एक ही बना दी जायें क्योंकि जैसा मैं ने निवेदन किया हिमाचल के लिये अलग, कश्मीर के लिये अलग दूसरी जगहों के लिये अलग, जैसी जहां की स्थिति हो, उस के मुताबिक वहां अनुसन्धान किया जाय, तो देश के अन्दर भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ अच्छी प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं । यहां पर इस बारे में भी यह बात कही जा सकती है कि विचार तो किया ही जाता है । लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि किया तो जा रहा है, कागजों के अन्दर सारी बात आती है, लेकिन मेरे ख्याल में जो माननीय सदस्य का प्रस्ताव था वह यह था कि जहां तक सरकारी कागजों का सवाल है, यहां से, सेन्टर से, कोई योजना स्टेटों में जाती है तो उस को हुक्म समझा जाता है, और उस हुक्म के अन्दर जो सब से बड़ी बात समझी जाती है वह यह है कि जो धन राशि निश्चित की गई है उस काम के लिये उस को खर्च करने की योग्यता हो । उस से परिणाम क्या निकलेगा, इस के ऊपर योग्यता निर्भर नहीं करती । एक दफा बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मैं भी मिनिस्टर बना । उस वक्त मैं ने यह कोशिश की कि रुपया किफायत से खर्च किया जाय । उस पंच वर्षीय योजना के लिये जो रुपया निश्चित किया गया वह पूरी तरह से खर्च नहीं हो रहा था, तो फिर यह कहा गया कि इस में तो बड़ी भारी नालायकी है अगर यह खर्च नहीं होता । मैं ने कहा कि इस तरह से रुपये का दुरुपयोग हो जायेगा, तो सुना गया कि योग्यता इसी बात में है कि पूरा पैसा खर्च हो । आज भारतवर्ष के अन्दर यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि पैसा बुरी तरह से खर्च किया जा रहा है और उस का उतना परिणाम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिये था । इस का हमें बड़ा खेद है और सब को होना चाहिये । इस का कारण यह है कि आज

कोई स्टेट मशीनरी ऐसी नहीं है जो इन सारे कार्यों को प्रोग्राम बना कर नहीं, यदा कदा देखने का प्रयत्न करे और अपनी रिपोर्ट उन के सम्बन्ध में भेजे कि कितनी प्रोग्रेस हुई या प्रगति हुई। अगर इस के बारे में देख रेख होती रहे तो उस का परिणाम यह होगा कि काम करने वाला भी यह समझेगा कि कल हमारे काम की रिपोर्ट होनी है इस लिये ठीक ढंग से काम होना चाहिये और खर्च करने वाला भी सोचेगा कि जो कुछ खर्च होगा उस की जांच पड़ताल होगी इस लिये वह भी ठीक ढंग से होना चाहिये। अगर इस तरह से एक मशीनरी का आपस में संगठन हो और इस ढंग से काम चले तो जो खर्च किया जा रहा है उस का लाभ मिलेगा और जो हमारी खाद्य समस्या है वह भी हल हो सकेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो, जैसा मैं ने निवेदन किया, रुपया तो खूब खर्च हो रहा है मगर काम लोग पूरी तरह से नहीं करते, या करना नहीं चाहते। फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मामला चलता रहता है, एक सुपरिन्टेंडेंट से दूसरे सुपरिन्टेंडेंट और उस से तीसरे सुपरिन्टेंडेंट तक जाता है और काम का मल्टिप्लिकेशन होता रहता है और जहां तक कार्य का सम्बन्ध है उस के अन्दर डेटेरियोरेशन, अवगति, दुर्गति और अधोगति होती रहती है।

तो मैं यह चाहता हूं कि इस के सम्बन्ध में विचार किया जाय, विचार करना बहुत जरूरी है, कि किस तरीके से हम अपने कृषि के काम से देश को खाद्य के मामले में स्वावलम्बी बनायें। इस के बारे में जितनी रिसर्च हो रही है, उन सारी रिसर्च की हुई चीजों का विस्तार अपने देश के अन्दर कैसे किया जाय, इस की देख भाल के लिये इस तरह की मशीनरी का होना बहुत जरूरी है। अगर यहां इस प्रकार की चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे जोजफ़ साहब ने अपनी हत्या कर ली, तो यह ठीक नहीं है। अगर कोई ऐसा आदमी है जो यह सोचे कि चूंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती इस लिये चलो छलांग लगा कर अपने को मार दो, तो मैं इसे बहुत बड़ी नपुंसकता समझता हूं। हर एक आदमी को इस संसार के अन्दर खूब चेष्टा करनी चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि अगर उसे अवसर मिले तो उस का उपयोग करे। बगैर काम किये हुए गुजारा नहीं होगा और अगर कोई चीज देश को आगे ले जाने वाली है तो उस के लिये हमें प्रयत्न करना ही होगा। लड़ना पड़ेगा झगड़ना पड़ेगा। यमराज से भी मुकाबला करना होगा तब काम हो सकेगा। मैं इतनी ही बात उपाध्यक्ष महोदय, इस के सम्बन्ध में कहना चाहता था कि इस के सम्बन्ध में जरूर कोई ऐसी मशीनरी हो जो इस की देखभाल करे।

Shri Ajit Singh Sarhadi (Ludhiana): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I congratulate the hon. Member who has sponsored this Resolution for the reason that it would focus the attention of the Government as well as of the people of the country, firstly, on the importance of research in the development of the agricultural economy in the country, secondly on the urgency of its extension throughout the country and in the different States for the purpose of evaluating the scope of the present research and, thirdly, on the co-ordination that should be brought about between the different research institutes. It is a matter of gratification to note that there is an increasing appreciation of and emphasis upon the importance of agriculture in the future development of the country. I congratulate the hon. Minister of agriculture on the zeal and energy shown by him in this connection, particularly in bringing about the World Agricultural Fair, which has disseminated so much knowledge to the different States who sent their farmers. But I must say that I am afraid sufficient importance is not being given to the research part of agricultural development. I quite appreciate the services that the Indian Institute of Agricultural Research is doing. But if we look at the figures of the insti-

[Shri Ajit Singh Sarhadi]

tutes that we have got in this country, it is very disappointing.

We have got three institutes pertaining particularly to agriculture in the country. They are the Indian Agricultural Research Institute in Delhi, the Directorate of Plant Protection and the Central Rice Research Institute, Cuttack. Of course, we have got two or three institutes about sugar cane, a few about fisheries, two or three about dairies and others. But the number of our research institutions, both at the Centre and in the States, I would respectfully submit, is very much less as compared to other countries.

How much importance is given in other countries to agricultural research would be abundantly clear from the amount of money spent and the care taken in finding the proper sort of experts who are appointed there. I find from a very able paper that our Library has prepared that in England there is a Privy Council of Agricultural Research comprising of the Lord President in Council, the Agriculture Minister of Food and Fisheries and also the Agriculture Minister of Scotland to whom the main council is responsible comprising of 18 best experts of the country. They have got, I find, about 19 research stations directly administered by the Government besides about 35 institutions which are aided and helped. That is the importance given to agriculture in a country which is mainly industrial.

Similarly, if we look at the figures in the United States or Soviet Russia, we find that there are 800 agricultural research centres spread throughout the country with 18,300 research workers working in these institutes. Besides these, there are also several other research institutes which are independent and which are helped. Compared to these, you see how small the number, which I have given, is, even if we include the number of the research institutes that the State Governments may be having.

As far expenditure, it is rather surprising to see what a small amount we are spending. The figure of the actual expenditure for 1958-59 is Rs. 58,05,929. Budgeted expenditure in 1959-60 was Rs. 83,86,200 but actually what was spent was Rs. 76,24,800 and the rest was allowed to lapse. Whereas for 1959-60 we budgeted for Rs. 83,86,000, for 1960-61, that is, this year, we are only budgeting for Rs. 78,78,200. We are rather going down.

Similarly, in the matter of rice and other things the amount of money that is being spent is much less in proportion to the urgency of research in its fundamental as well as applied aspect. As compared to that, if we look at the figures of other countries we will find that in Canada alone in 1959-60 $30 million have been spent for research in agriculture. I have not got the figures of what has been spent in the United Kingdom and Soviet Russia, but I believe the figures would be as big as in Canada or rather bigger than that. What is the budgeted expenditure in our own Budget in comparison to these is really painful to see. Therefore I submit that we have got to evolve a way of how to spread and utilise research in agriculture. That is what I find is the object of the hon. Mover of the Resolution.

The Resolution says:

> "This House calls upon the Government to appoint a Committee consisting of Members of Parliament, well known agriculturists of the country and agricultural experts to evaluate the Agricultural Research Programme in the country and to suggest ways and means for better co-ordination and improvement."

I would even like to have the Members of Parliament eliminated from it if the hon. Minister considers that none of them is expert enough or zealous enough to go into it. But certainly the Resolution is most harmless and what it only recommends is that a committee should be constituted to go into this question and to look into the necessity of having not only extensive research but also co-ordination. The hon. Mover of the Resolution has

already drawn the attention of the House to the recommendations of the Royal Commission on Agriculture in 1928. He has also given the recommendations of Dr. Stewart in 1946. He has given the recommendations of the Indo-American Team of 1958. Since more emphasise was laid on agriculture in the First Plan, at that time the Planning Commission had recommended the appointment of a committee to go into this question, but to my best knowledge and information, no such committee has been constituted so far.

The most painful aspect is this, that not sufficient attention is given to agriculture. The House will probably recollect that the Minister of Food and Agriculture declared the other day that in spite of twelve years having passed after independence, we have had no economic survey as to the price of production to a farmer of food and other agricultural products. That is the tragedy of the thing, and yet day in and day out we are being told that the prices of food and agricultural products have to be lowered because they are high for the urbanites.

So, in the matter of research as well as other things sufficient attention is not paid to agriculture; and sufficient attention can never be paid unless agriculture is also considered to be an industry to be developed on scientific lines. Unless there is that appreciation, experts take it up as a profession and it becomes an industry with science and research as its basis, it cannot prosper in the country. Unfortunately, however, today sufficient attention is not being given to it.

I certainly agree with the hon. Mover that the agricultural services are not given importance, they have no status. The Nalagarh Committee report had definitely said that a certain status should be given to the agricultural services, they should be given a certain importance, but I believe up till now nothing has been done in this connection.

I, therefore, submit that the resolution is very important, is quite harmless and useful, and that it is a constructive step. I hope the Minister will accept it in its entirely or at least announce the formation of a committee for regulating research, bringing about co-ordination and co-operation among the different States, and giving the both fundamental and applied.

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का वास्ता है, मैं समझता हूं कि यह मानने योग्य है। इस सिलसिले में दो तीन चार बातों की तरफ और मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

चन्द दिन हुए जब उप मंत्री साहब ने--उसे वायदा तो नहीं कहा जा सकता--ध्यान दिलाया था कि नालागढ़ कमेटी ने एक एग्रीकल्चर कमीशन बनाने की सिफारिश की है। जैसे हमारे देश के हालात हैं, दाएं और बाएं और के दबाव से शायद वह कुछ पीछे हटना चाहते हैं गो कि उनको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर वह ऐसा कमीशन बनाते हैं तो देश की ७० फीसदी जनता की मनोभावना और हमदर्दी उनके साथ होगी। वह शायद प्लानिंग कमीशन के बड़े भाइयों की तरफ देखते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि आप होसला करें क्योंकि दो साल बाद वह होसला आपको प्लानिंग कमीशन के भाइयो के बनिस्बत ज्यादा काम देने वाला है।

इसके अलावा एक दो बात और कहना चाहता हूं। आपको याद होगा कि हमारे पाटिल साहब ने जिनको एक मजबूत आदमी कहा जाता है, यह ऐलान किया था कि प्राइस स्टेबीलाइजेशन बोर्ड बनाने का इरादा रखते हैं, उसको भी मालूम होता है कि दाएं बाएं के दबाव से दबाने की कोशिश हो रही है।

[चौ० रणबीर सिंह]

और यह जो कमेटी है यह तो एक मामूली सी कमेटी है । इसकी प्लानिंग कमीशन ने सिफारिश की थी और यह जरूरी है इसलिए कि आज इस काम पर बहुत काफी रुपया खर्च हो रहा है । ६०–६१ बजट के अन्दर ५,२२,९९,००० रुपया एग्रीकल्चुरल रिसर्च पर खर्च होगा । यही नहीं, रिसर्च को किसान तक पहुंचाया जाए इसके लिए भी देश के अन्दर काफी रुपया खर्च हो रहा है और वह भी करोड़ों की तादाद में है । वह खर्च कहां होता है? यह कम्युनिटी प्रोजेक्ट का सारा मुहकमा इसके लिए बनाया गया, एक्सटेंशन का मुहकमा इसके लिए बनाया गया और पांच साल के अन्दर इस पर ५०–६० करोड़ रुपया खर्च होगा । जो भाई इसके अन्दर नौकर हैं चाहे उनकी तनख्वाह के लिए खर्च हुआ हो चाहे उनके भत्ते की शक्ल में खर्च हुआ हो, चाहे उनके लिए जीपों की शक्ल में खर्च हुआ हो या उनके लिए मकान बनाने में खर्च हुआ हो । तो ६० करोड़ रुपया उधर खर्च हुआ और १४–१५ करोड़ एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए खर्च हुआ । हमें इसका अन्दाजा लगाना जरूरी है । मुझे मालूम नहीं कि सरहदी साहब को क्या डर था कि उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया कि इस कमेटी में पार्लियामेंट के मेम्बर हों । मैं नहीं समझता कि अगर पार्लियामेंट के मेम्बर इस कमेटी में रहेंगे तो कोई नुक्सान होने वाला है । वह क्यों घबरा गए । वह अपनी सिफारिश खुद नहीं करना चाहते, शायद इस वजह से कि वह वकील हैं और उनके पास वक्त नहीं है। लेकन मैं तो यह धृष्टता कर सकता हूं कि मुझे खुद उस कमेटी का मेम्बर मंत्री महोदय बनाएं ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): क्या आप बेकार हैं?

चौ० रणबीर सिंह: एक तरह से बेकार हूं कारण कि मेरे दिल में जो किसानों की सेवा करने की भूख है वह मैं नहीं कर पा रहा हूं । तो इस कमेटी की मारफत मैं किसान के लिए, जिसने मुझे चुनकर भेजा है, दो आना चार आना सेवा कर सकूंगा । मैं किसानों द्वारा चुनकर १२ साल से इस सदन में हूं । मैं चाहता हूं कि उनका कुछ बदला चुका सकूं ।

जिस प्रदेश से आप आते हैं उसी प्रदेश से मैं आता हूं । आप जानते हैं कि उस प्रदेश के एक हमारे साथी हैं चौधरी रामधनीसिंह जी जो कि लायलपुर एग्रीकल्चर कालिज के प्रिंसिपल थे और जिन्होंने ५९१ नम्बर का गेहूं पैदा किया था और इसके अलावा दूसरी किस्म के गेहूं पैदा किए । और इस तरह से उन्होंने रिसर्च कर के खेती के लिए बहुत बड़ा काम किया । अगर आज कोई प्रदेश एग्रीकल्चुरल रिसर्च से मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिए सिर ऊंचा कर सकता है तो वह पंजाब का प्रदेश है । लेकिन हम देखते हैं कि हमारी काउंसिल है, एग्रीकल्चुरल रिसर्च इंस्टीटयूट हैं और बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन उनके ऐसे सज्जनों को जिन्होंने देश की इतनी बड़ी सेवा की है इनमें कोई नाम नहीं है । आज मैं एस्टीमेट कमेटी की सन् १९५४ की रिपोर्ट पढ़ रहा था । उसके अन्दर उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों के अन्दर तो ७० साल तक के जो आदमी रिसर्च का काम करने वाले हैं उनकी सेवाओं से फायदा उठाया जाता है । उन्होंने सिफारिश की है कि हमारे देश में कम से कम ६० साल तक उनकी सेवाओं से फायदा उठाया जाए । लेकिन बदकिस्मती से हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है । हमारी काउंसिल के अन्दर नामीनेशन होता है और राष्ट्रपति जी राज्य सभा में भी नामिनेशन करते हैं । लेकिन वहां आपके बड़े अच्छे गाने वालों और नाचने वालों के लिए जगह है लेकिन जिसने देश की रिसर्च करके सेवा की है और जिसने देश का धन दौलत पैदा करने में मदद की है उसके लिए वहां स्थान नहीं है । इस का मुझे दुःख है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी तो सोशल सरविसेज में आ जाते हैं ।

चौ० रणबीर सिंह : यह ठीक है लेकिन पता नहीं वह उसमें क्यों नहीं आते । आते तो इसके लिए कई हो सकते हैं, लेकिन कोई उनको लाता नहीं, यही मेरा गिला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तो माननीय सदस्य इलैक्शन में आ रहे हैं । वह अभी जवान हैं ।

चौ० रणबीर सिंह : मुझे तो भगवान ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया है कि मैं कोई ५९१ या कोई और दूसरा नम्बर गेहूं देश के लिए पैदा करता और देश की आमदनी को बढ़ावा देता और जिन्होंने ऐसा किया है, मैं समझता हूं कि उन का हक मुझ से कहीं ज्यादा है और हमें उन को इलैक्शन से निकाल कर मौका देना चाहिए । मुझे गिला न रहे हमारे पंजाब के गवर्नर या राष्ट्रपति के नामीनेशन से, अगर डाक्टर साहब इंडियन कौंसिल आफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च में उन से कुछ फ़ायदा उठायें । जब से वह पेन्शन पर गए हैं, तब से वह लगातार काग़ज़ निकाल रहे हैं । चूंकि वह देहाती हैं, इस लिए वह उर्दू में ही छपवाते हैं, क्योंकि उर्दू के अलावा कोई दूसरा अखबार उन को छापेगा नहीं । अगर रिसर्च वर्कर देहाती हो, तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि क्या कोई उस की बात को सुनेगा । उन्होंने बहुत काम की बातें छपवाई हैं । उन्होंने गन्ने के पेरने और कोल्हू लगाने के बारे में लिखा है । एक एक नुक्ता-ए-निगाह से, एग्रीकल्चरल इकानामिक्स के नुक्ता-ए-निगाह से उन्होंने काम किया है ।

कम्यूनिटी प्राजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतना रुपया खर्च किया गया है । मैं तो यह चाहता हूं कि यह महकमा बजाये उन भाइयों के, जिन्हें खेत से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है, बल्कि उन्हें सुपुर्द किया जाये, जिन का खेती से कोई वास्ता है । इस को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का हिस्सा बनाया जाना चाहिए । आज हालत यह है कि रिसर्च का काम तो पाटिल साहब की मिनिस्ट्री करती है और उस को फैलाने का काम डे साहब करते हैं । इस का नतीजा यह है कि वह चीज किसान तक पहुंच नहीं पाती है और नाच-गाने में फंस जाती है । मैं यह चाहता हूं कि जिन भाइयों को खेती करने का तजुर्बा है, जो उस की कीमत को समझ सकते हैं, उन के साथ कम्यूनिटी प्राजेक्ट के महकमे को लगाया जाये । आज यह महकमा दो जगह है—रिसर्च कोई करता है और उस को फैलाने की जिम्मेदारी किसी दूसरे की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य रेज़ोल्यूशन से बहुत दूर जा र हैं । वह मिनिस्ट्रीज़ की इन्टेगरेशन में जा रहे हैं ।

चौ० रणबीर सिंह : मैं इस में जा रहा हूं कि रिसर्च को किसानों तक कैसे पहुंचाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस वक्त सवाल तो यह है कि रिसर्च के लिए एक कमेटी बनाई जाये ।

चौ० रणबीर सिंह : जब सरकार का यह हिसाब है कि वह मान कर भी पीछे हट जाती है, तो कम से कम मैं अपने विचार तो प्रकट कर दूं ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस बात का अन्दाज़ा लगाना चाहिए कि खेती की जो रिसर्च है, आया वह किसान तक पहुंची है या नहीं । इतना रुपया जो खर्च किया गया है, उस का क्या रिटर्न देश को मिला है, इस के लिए कमेटी की आवश्यकता है । पांच करोड़ से ज्यादा रुपया हर साल खर्च होता है और दस करोड़ इस को फैलाने में खर्च होता है । मैं चाहता हूं कि बहस का जवाब देते हुए मंत्री महोदय मुझे यह बतायें कि क्या कोई ऐसी किताबें या पैमफ़लेट छापे गए हैं, जो यह बता सकें कि रोहतक ज़िले में कौन सी फ़सल कोई किसान बोए, जिस से ज्यादा से ज्यादा रुपया उस के पास पहुंच सकता है । मैं समझता

[चौ० रणवीर सिंह]

हूं कि एक कागज भी ऐसा नहीं छपा है जिस को पढ़कर कोई किसान अन्दाजा लगा सके कि मैं अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकता हूं, मेरे पास पांच या दस एकड़ जमीन है, उस में ज्यादा से ज्यादा पैदा करने के लिए मैं क्या चीज बोऊं। जैसा कि मेरे भाई ने कहा है, रिपोर्टें छपती हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं छपती है, जिस से किसान को फ़ायदा पहुंचे। मैं चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल इकानामिक्स के बारे में आंकड़ों के साथ पैमफ्लेट छपवाये जायें।

मैं ने कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स, एग्रीकल्चरल कमीशन और प्राइस स्टैबिलाइजेशन बोर्ड का जिक्र किया है। यह इसलिए जरूरी है कि आप जानते हैं कि हमारे देश में आजादी के बाद एक करोड़ नहीं, १५०० करोड़ रुपए का अनाज बाहर से आया है। उस के अलावा २६० करोड़ रुपए की सबसिडी दी गई, ताकि शहरों में यह अनाज सस्ता बिक सके। इस तरह लगभग १७५० करोड़ रुपए का खर्च हुआ। यही नहीं, पहले पे कमीशन और दूसरे पे कमीशन के नतीजे के तौर पर जो तन्ख्वाह और भत्ते बढ़े, उन पर हिन्दुस्तान की आजादी के बाद हम कोई १३००, १४०० करोड़ रूपए खर्च कर चुके हैं। इस तरह से कोई तीन हजार करोड़ के करीब रुपया खर्च हुआ है इस देश में बाहर से अनाज मंगाने के लिए, या सरकारी नौकरों के या व्हाइट कालर्ड लोगों को सस्ता अनाज खिलाने के लिए। मैं चाहता हूं कि इस देश की पैदावार बढ़ाने के लिए खर्च होना चाहिए और इस देश की पैदावार बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि इस किस्म की कमेटी एपायंट हो। मैं यह मानता हूं कि एक्सपर्ट इस देश में बहुत जरूरी है। लेकिन कई दफ़ा एक्सपर्ट्स में आज और समाज के उस अंग में बहुत ज्यादा ताल-मेल नहीं होता है, या एडमिनिस्ट्रेशन के, जो लोग दफ्तर में—सैक्रेटेरियट में—बैठते हैं, उन के डर की वजह से वे लोग खुल कर बात नहीं कर सकते। इस लिए मैं यह जरूरी समझता हूं कि पार्लियामेंट के मेम्बर उस कमेटी में जरूर होने चाहिए और मैं सरदार अजित सिंह सरहदी से इत्तिफाक नहीं कर सकता कि उस में पार्लियामेंट के मेम्बर न हों। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रस्ताव को मन्जूर करें और इसके साथ ही साथ यह आश्वासन भी दें कि इस देश में एग्रीकल्चरल कमीशन भी बनेगा और प्राइस स्टैबिलाइजेशन बोर्ड भी बनेगा।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। प्रस्ताव का समर्थन क्यों नहीं करना चाहता, उस के लिए मेरे कारण करीब करीब उसी तरह के हैं, उन्हीं आधारों पर हैं, जिन आधारों को लेकर चौधरी रणवीर सिंह या सरदार अजित सिंह सरहदी इन बातों को कह रहे हैं। उनको मैं चाहता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि इस तरह की समिति बनाने से उन चीजों को हम कहां तक पूरा कर सकते हैं। हमारी प्रवृत्ति कुछ इस तरह की हो गई है कि जब कोई मुसीबत आती है, या जब कोई कमी हमें दिखाई देती है, तो हम चिल्लाने लगते हैं कि उस के लिए एक समिति बन जानी चाहिए—कोई विशेषज्ञों की समिति या किसी और तरह की समिति और वह समिति इस काम की देख-भाल करे, जांच पड़ताल करे और फिर अपनी रिपोर्ट दे। हमारी अपनी पद्धति में यह होता है कि जब कोई कमेटी बनती है, तो वह एक साल, दो साल और कभी कभी तीन साल तक ले लिया करती है। जब कोई कमेटी बनती है, तब फिर उस का एक स्तर कायम रखा जाता है कि उस पर इस तरह से खर्च होगा। इस तरह कमेटियों के बनाने में ही लाखों रुपए खर्च हो जाया करते हैं। जब कमेटी की रिपोर्ट आती है, तो उस के बाद जिस मंत्रालय से उस का संबंध

होता है, उस में उस का अध्ययन होता है और उस के बाद फिर उस में यह विचार किया जाता है कि इस में किन किन बातों पर हम अमल कर सकते हैं और किन किन पर हम अमल नहीं कर सकते हैं। नतीजा यह होता है कि इस तरह की कमेटी बनाने के बाद, जिस प्रश्न पर हम कमेटी बनाते हैं, उसको कम से कम तीन चार साल के लिए टाल देते हैं। उस में कुछ हो नहीं पाता है। जब सदन में या बाहर उस के बारे में आवाज उठाई जाती है, तो सरकार के लिए बहाना होता है कि इस के लिए कमेटी बनी हुई है, वह जांच-पड़ताल कर रही है, जब तक वह रिपोर्ट न दे, तब तक इस बारे में कुछ करना सम्भव दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि यदि इस समस्या पर भी हम कमेटी बना देते हैं, तब तो सरकार के पास एक हथियार मिल जायगा। वह कहेगी कि कृषि के अनुसन्धान के कार्य की जांच-पड़ताल करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है, जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक जो कुछ हो रहा है, वह काफ़ी है, हम इस में क्या कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। असल में मैं इसलिए इस का विरोध करता हूं कि अगर यह कमेटी बन जाती है, तब तो सरकार से हम जो आशा कर सकते हैं, जो हमरी मांग है कि जल्दी से जल्दी कृषि की तरफ़ उस का ज्यादा ध्यान जाये, वह नहीं जायगा।

आज क्या स्थिति है? अभी तक कम कमेटियां हैं क्या? इस की जांच-पड़ताल करने के लिए, इसी से सम्बन्धित श्री अशोक मेहता की कमेटी बनी। उस ने रिपोर्ट दी। क्या उस की सारी सिफारिशों पर अमल कर लिया गया है? जैसा कि अभी मेरे लायक दोस्त चौ० रणवीर सिंह ने जिक्र किया है, चाहे कृषि कमीशन बनाने की बात हो, चाहे खेती की पैदावार की कीमत तय करने की बात हो, क्या सरकार ने उन के बारे में कोई कार्यवाही की है? खेती की पैदावार का किसान को कितना दाम मिलना चाहिए, अन्न पैदा करने में किसान का कितना खर्चा होता है, अपने खानदान को चलाने के लिए उसे कितने पैसे की ज़रूरत होती है, इन सब बातों को देखते हुए खेती की पैदावार की कीमत तय हो सके, इस के बारे में भी उन्होंने कुछ सिफारिशें कीं। क्या सरकार ने उन पर अब तक अमल किया?

नालागढ़ कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र पहले भी इस सदन में हुआ है और एक ऐसे माननीय सदस्य के द्वारा हुआ है, जो पहले सरकार के खाद्य और कृषि मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा है कि वह लगातार प्रयत्न करते रहे कि नालागढ़ कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार की जाये, लेकिन हमारे ऊपर एक सुपर-कैबिनेट बैठी हुई है और उस सुपर-कैबिनेट ने कहा कि अभी उस पर अमल नहीं किया जायगा। उस दिन प्रधान-मंत्री महोदय की तरफ से कहा गया या किसी और की तरफ़ से कहा गया कि अब नालागढ़ कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करने का उन्होंने फैसला कर लिया है। यही नहीं, आप देखेंगे कि खाद्य और कृषि मंत्रालय में इस बात के लिये एक वकिंग ग्रुप मौजूद है, प्लैनिंग कमिशन के अन्दर अलग वकिंग ग्रुप मौजूद है, हर जगह एक अलग वकिंग ग्रुप मौजूद है, वह सब अपनी रिपोर्ट देते हैं। लेकिन इस का नतीजा क्या होता है? कहा जाता है कि जो तृतीय पंच वर्षीय योजना हम बना रहे हैं उस के लिये खाद्य और कृषि मंत्रालय का जो वकिंग ग्रुप है उस ने यह सिफारिश की थी कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में खाद्य और कृषि मंत्रालय को १,००० करोड़ रु० देने का विधान होना चाहिए खेती के विकास के लिये या इस मंत्रालय के कामों के विकास के लिये। यह तो खाद्य और कृषि मंत्रालय के वकिंग ग्रुप की रिपोर्ट है। दूसरी ओर जो दूसरा साम्राज्यवाद है, जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि आज कल जो हमारा सेट अप है या जो विभिन्न मंत्रालय हैं उन के अलग अलग साम्राज्यवाद

[श्री ब्रजराज सिंह]

कायम हो गये हैं, कोई नहीं जानता कि उन में क्या हाल चाल हैं। टेलिफोनों की भरमार है, एक मिनिस्टर हैं, उन के डिप्टी होंगे, उस के बाद दूसरे चलेंगे, सेक्रेटरी चलेंगे, उन के असिस्टेंट चलेंगे, हर एक पी० ए० और एसिस्टेंट पी० ए० के पास टेलीफोन हैं। अगर आप मिनिस्टर से बातचीत करना चाहते हैं तो आप को पहले पी०ए० से तय करना होगा, फिर वह मिनिस्टर से तय करेंगे। परदे पर परदा पड़ा हुआ है, नतीजा यह होता है कि काम में देरी होती है। तो इस तरह से प्लैनिंग कमिशन का अलग जो वर्किंग ग्रुप है, उस ने कह दिया है कि खाद्य और कृषि मंत्रालय को १,००० करोड़ नहीं ६०० करोड़ रु० देना चाहिये। प्रधान मंत्री के शब्दों में जो साम्राज्यवाद कायम हो गया प्लैनिंग कमिशन का वह १,००० करोड़ रु० के लिये तैयार नहीं है। लेकिन जिस के लिये रुपया दिया जाना है उस की कोई परवाह नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो हमारे सारे विचार का तरीका है वह गलत है। अगर आप कोई कमेटी बना देंगे तो उस से कोई काम होने वाला नहीं है। यह सारी समस्या को टाल देने वाला ढंग है। जैसी कि हमारे यहां यह परम्परा चली आ रही है कि जब अदालत के मातहत कोई मामला होता है तो उस पर हम बात चीत नहीं करेंगे, वैसे ही अगर किसी कमेटी के मातहत कोई चीज दे दी गई तो वह काफी दिनों के लिये बन्द हो जाती है, उस पर कोई बात चीत नहीं हो सकती। एक बहाना मिल जाता है कि जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं देती है तब तक उस पर हम लोग बात चीत नहीं कर सकते।

असल समस्या यह है कि आज कल देश में खेती की समस्या पर विचार करने की इतनी जल्दी आवश्यकता है कि इस कमेटी की बात नहीं करनी चाहिये। जितना भी मसाला मौजूद है, उस मसाले को इकट्ठा कर लिया जाय और उस मसाले के मुताबिक उस पर काम करने की कोशिश की जाय। अगर हम पहली दो योजनाओं का विश्लेषण करें और तृतीय पंच वर्षीय योजना के बारे में अब तक जितनी चर्चा चली है उस का विश्लेषण करलें तो नतीजा यह निकलेगा कि जो लोग निश्चित रूप से ६९ फी सदी इस पेशे पर निर्भर करते हैं, कुछ लोगों का तो कहना है कि वे ८० फी सदी हैं, लेकिन प्लैनिंग कमिशन की रिपोर्ट में ६९ फी सदी दिया हुआ है कि ६९ फी सदी लोग इस पेशे पर निर्भर करते हैं, उन के लिये अभी बहुत कुछ नहीं किया गया है। हम सोचें कि उन लोगों के लिये देश की दो पंच वर्षीय योजनाओं में कितना रुपया खर्च किया गया है और तृतीय पंच वर्षीय योजना में, जिस के लिये ९९५० करोड़ दिया जा रहा है, इस पर कितना खर्च किया जायेगा। जो समाचार छप रहे हैं उन से पता चलता है कि खाद्य और कृषि मंत्रालय पर ६०० करोड़ रुपया खर्च होगा, कम्यूनिटी डेवेलपमेंट और कोआपरेशन पर जो इस से सम्बन्धित हैं, ४०० करोड़ रु० से कुछ कम खर्च होगा, और सिंचाई पर जो कि खेती से सम्बन्धित है, उस पर भी ५०० या ६०० करोड़ रु० खर्च होगा। इस तरह से कुल मिला कर ९९५० करोड़ में से १६०० करोड़ रु० इन विशयों पर हम खर्च कर सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि समस्या यह नहीं है कि कोई कमेटी बना कर जांच पड़ताल की जाय। जांच पड़ताल तो बहुत काफी हो चुकी है। पूरा मसाला मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उस पर अमल कितना होता है। जो लोग यह चाहते हैं कि अमल हो नहीं, उन का यह बहाना रहता है कि कमेटी बनाओ और इस मसले को दो तीन साल के लिये टाल दो। कमेटी जांच पड़ताल करती रहे, गवाहियां लेती रहे, यात्रा करती रहे, फिर यात्रा में और बहुत सी बातें भी हो सकती हैं जिन में आराम भी शामिल है, लेकिन उस

में मैं नहीं जाना चाहता और यह सब करने के बाद जब दो ढाई साल बाद कमेटी रिपोर्ट दे तब फिर कृषि और खाद्य मंत्रालय को मौका मिले कि उस की जांच पड़ताल करायें। चार, छः महीने उस की जांच पड़ताल वह करे और उस के बाद कहे कि कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उस ने जो निर्णय दिये हैं, उन पर सरकार अमल करने में असमर्थ है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी दिक्कत है आपको? जब आज देश भर में सीमेंट की कीमत आप तय कर सकते हैं, कपड़े की कीमत आप तय कर सकते हैं, स्टील की कीमत आप तय कर सकते हैं, हर एक पैदावार के बारे में आप जानते हैं कि उस पर इतना खर्च होता है, उस के कारखाने से निकलने के वक्त इतना मूल्य है और इतने पर बिकना चाहिये, तब आप खेती की पैदावार के बारे में क्यों कीमत तय नहीं कर सकते, जिस पर इतने आदमी निर्भर करते हैं। इस में आप को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। लेकिन कहा जाता है, बार बार सरकार के मंत्रियों की तरफ से कहा जाता है कि मुल्क में मुद्रा-स्फीती सिर्फ इसलिये बढ़ रही है, इन्फ्लेशन सिर्फ इसलिये बढ़ रहा है कि खेती की पैदावार जो है उस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई इस को देखता नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है उस के लिये, जिस के लिये अखबार में जगह नहीं है, जिस की बातें सुनी नहीं जाती है, सारे देश में, जो मूक है। दूसरे लोग उस की वकालत करते हैं। वह आयेंगे उस की वकालत करने के लिये और यहां आकर अपने मवक्किल को हराने की कोशिश करेंगे, यह कहेंगे कि खेती की पैदावार बढ़ रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे का सारा सोचने का तरीका गलत है। अगर उसी तरीके पर सोचा जाता है तो न हिन्दुस्तान कभी खाद्य के सम्बन्ध में आत्म निर्भर हो सकता है और न देश कोई तरक्की कर सकता है जिस तरक्की को हम चाहते हैं। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो उस के लिये हमें अपने दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा, फंडामेंटल चेंज लाना पड़ेगा और जब तक वह चेंज नहीं आता, तब तक यही होगा कि कमेटी को बना दो और मामले को टाल दो।

आज जो अनुसन्धान हो रहे हैं उन को ही देखिये। मैं नहीं कहता कि अनुसंधान नहीं होने चाहिये। मैं मानता हूं कि अनुसंधान बहुत आवश्यक है। जो दो तीन हमारे इन्स्टिट्यूट हैं उन में अनुसंधान हो रहा है, इस के लिये कोई नये इन्स्टिट्यूट खोलने की जरूरत नहीं है, उन्हीं को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस के लिये कमेटी बना कर हम मामले को टाल दें, साल भर के लिये, छः महीने के लिये, दो साल के लिये, ढाई साल के लिये, तो यह बात अनावश्यक है। इस तरह तो हम समस्या को और आगे के लिये टालते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य, जिन्होंने कि इस प्रस्ताव को पेश किया है, समस्या के असली पहलू पर जाये और सरकार के ऊपर जोर डालें। मेरे ख्याल में जहां तक कमिशन बनाने का सवाल है, कृषि की पैदावार के भाव को तय करने का सवाल है, उस के लिये कमेटी बनाने का सवाल है, तो किसानों की कमेटी बनाइये, जिस में किसान को यह महसूस हो कि जो कुछ किया जा रहा है वह हमारे लिये किया जा रहा है। कम्यूनिटी डेवेलपमेंट में उन लोगों को रखिये जो कि किसानों के आदमी हों, जिन के लिये वे सोच सकें कि वे उन के लिये कुछ कर सकते हैं। शहरों के बाबुओं को मत भेज दीजिये जो कि कोट पेंट पहन कर गिटपिट करें। जब तक इस दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आयेगा तब तक न गांव की हालत सुधरेगी, न खेत की पैदावार बढ़ेगी और न जो प्रस्ताव का उद्देश्य है वही पूरा होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब स्पीकर साहब, मैंने जो तकरीरें इस रेजोल्यूशन पर सुनीं, मुझे अफसोस है कि उन में से कई स्पीचेज के कुछ हिस्से ऐसे थे जो कि इस रेजोल्यूशन के ऊपर बहुत कम रेलेवेंसी के थे। बाकी जो असली चीज है इस रेजोल्यूशन की वह उस में दर्ज है और उस के ऊपर जो कुछ होना चाहिये . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो चौधरी साहब ने कह दिया कि कमेटी मुकर्रर हो या नहीं, मैं तो अपनी बात कहूंगा।

श्री वी० चं० शर्मा : उन्होंने तो यह भी कहा था कि उन को कमेटी का मेम्बर बना दिया जाय।

चौ० रणबीर सिंह : मैं आपको भी मेम्बर बनवा दूंगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अभी जो मेरे दोस्त मुझ से पहले बोले थे उन की सारी तकरीर का लुब्बो लुबाब यह था कि कमेटियों में हम जो कार्यवाही करते हैं, वह दुरुस्त नहीं हैं। उन्हों ने बहुत माकूल वजूहात दीं, और सबको इस का तजुर्बा भी होगा कि कमेटी बनने से कई मामले टल जाते हैं। लेकिन यह कहना कि इस वजह से हम कमेटी न बनायें क्योंकि कमेटी का असर यह होता है कि रिपोर्ट आई, महकमे ने देखी, फिर हाउस में गई, फलां जगह उस में देर लग गई और बहाना होता है, मेरे ख्याल में यह माकूल वजह नहीं है जिस के ऊपर हम इस रेजोल्यूशन को अपोज कर सकें।

देखना यह है कि जो वजूहात हमारे मूवर साहब ने दी थीं वह वजूहात दुरुस्त हैं, या नहीं, और हिन्दुस्तान के अन्दर इस की जरूरत है या नहीं कि इस तरीके की कोई कमेटी बने जो इस काम को इवैलुएट करे और सजैस्ट करे वेज ऐंड मीन्स फार बेटर कोआर्डिनेशन ऐंड इम्प्रूवमेंट। मेरी नाकिस राय में यह भी रिसर्च का मामला है, जहां तक सवाल प्राइसेज का है, यह भी रिसर्च का मामला है और जो दो तीन बातें मेरे लायक दोस्त ने कहीं उन में रिसर्च की जरूरत है। लेकिन ताहम जिस रिसर्च का इस रेजोल्यूशन में जिक्र है वह उस से थोड़ी डिफरेंट है। मैं अर्ज कर दूं। मुझे थोड़ा सा इस रिसर्च के मामले का पता है। बहैसियत मेम्बर इस हाउस के मैं ने कई एक रिसर्च इन्स्टीट्यूटस देखे हैं। मसलन पोटैटो और राइस वगैरह। मैं एग्रीकल्चरल रिसर्च कौंसिल का भी मैम्बर हूं। मैं ने कमोडिटीज कमेटीज को भी देखा है। मैं काटन कमेटी का भी मेम्बर हूं कुछ अर्से से। इस के अलावा यह सवाल आज ही नहीं उठा है। एक दफा एस्टिमेटस कमेटी में भी यह सवाल उठा था, जब हमारे आनरेबल स्पीकर साहब उस के चेअरमैन थे। मैंने एस्टिमेटस कमेटी के मेम्बर की हैसियत से उस कमेटी में इस बारे में सिफारिशें भी कीं। अब कहा यह जाता है कि अब तक कोई कमेटी नहीं बैठी देश के अन्दर यह देखने के लिये कि कास्ट आफ कल्टिवेशन क्या होता है और इस के बारे में कोई रिसर्च नहीं की गई। यह भी दुरुस्त नहीं।

मेरे सामने आनरेबल मिनिस्टर बैठे हैं जिन का कि काम मैं वर्षों से देखता रहा हूं। अब यह कहना कि जो कुछ रिसर्च हुई वह सारी की सारी सरकार के दफ्तरों में लौक रहती है और उस की जानकारी जनता को नहीं दी जाती, दुरुस्त नहीं है। मेरे लायक दोस्त जो कि इस रेजोल्यूशन के मूवर हैं उन्हों ने एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम के इवैलुएशन के लिये जो एक कमेटी बनाने की तजवीज रखी है उस को सपोर्ट में उन्हों ने बड़ी अच्छी अच्छी वजूहात दी हैं लेकिन कई बातों पर वे इतने एक्सट्रीम पर चले गये जब कि उन्हों ने कहा कि एग्रीकल्चर रिसर्च

कौंसिल का कोई फायदा नहीं पहुंचा, उस से देश को कोई फायदा नहीं पहुंचा तो यह दुरुस्त नहीं है। वैसे म बतला दूं कि मैं इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि इस को समर्थन मिले लेकिन उस के साथ ही यह भी जरूर कहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य का यह कहना दुरुस्त नहीं है कि एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसिल, और कमोडिटी कमेटीज ने इस देश का भला नहीं किया। आप सिर्फ कौटन को ही देख लें। अभी पिछली दफा कौटन कमेटी की रिपोर्ट थी सिर्फ ११ करोड़ की आमदनी कौटन कमेटी की जो सिफारिशें थीं और जो उस की रिसर्च थी, उस की वजह से हुई। आज हमारे देश में कितनी ऐसी कौटन पैदा होती है जो कि हम बाहर से मंगवाया करते थे। एक या सवा इंच स्टेपिल की है। यहां बहुत सारी कौटन पैदा होती है और कोशिश यही है कि एक मन कौटन भी बाहर से न आयें, कौटन कमेटी की कोशिश ऐसी है। इसी तरह आप जूट कमेटी और दूसरी कमोडिटी कमेटीज को देखें। इन से देश को इतना फायदा हुआ है कि जिस का कोई ठिकाना नहीं। इसलिये यह कहना कि उन कमेटियों से कोई काम नहीं हुआ और ए० आई० आर० आई० और ए० आर० सी० ने कोई काम नहीं किया, यह दुरुस्त नहीं है।

जनाबवाला कुछ अर्सा पहले, अब से चार पांच वर्ष पहले यह जो रिसर्च का काम होता था और जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा रिसर्च वगैरह पर जो बहुत सी किताबें लिखी जाती थीं वे अंग्रेजी में लिखी जाती थीं और इस का उन की पहुंच आम जनता तक नहीं हो पाती थी लेकिन यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आनरेबुल मिनिस्टर ने उधर ध्यान दिया और वे वाकई उस के लिये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। उन्हों ने एक नया मुहकमा निकाला और उस ने इस तरह की जानकारी वाली किताबें रिसर्च वगैरह की आम बोलचाल की भाषा में हिन्दी में निकालीं और उन का गांवों में प्रचार किया। इसलिये यह कहना दुरुस्त नहीं है कि एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर ने किताबें नहीं निकालीं या उन को लौक में बन्द रक्खा। खसूसन जब से उन में रंधावा साहब गये तब से उन्हों ने और ज्यादा इस चीज को चलाया और इस का इंतजाम किया कि गांव वालों को उन रिसर्चेज से जानकारी कराई जाय और हिन्दी में किताबें छापीं। आज कल बहुत सारे रिसाले और किताबें हिन्दी व रीजनल जबानों में छपती हैं और आयन्दा ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में किताबें छपेंगी। जब कि पहले सारा काम काज अंग्रेजी में चलता था और किताबें भी अंग्रेजी में छपती थीं। अब वहां पर बहुत सारा काम हिन्दी में होता है लेकिन तो भी मैं इस शिकायत में शामिल हूं कि जितना हम चाहते हैं उतना काम हिन्दी में नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जो भी आप रिसर्च करें उस का फायदा देश का हर एक किसान उठा सके। उस को उस की जानकारी मिले। यह सच है कि जितना रुपया खर्च किया गया उतना फायदा देश को नहीं हुआ। सच बात यह है कि रिसर्च का ठीक तरह से कोआर्डिनेशन नहीं है और कोआर्डिनेशन न होने से वह रिसर्च भी उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि बढ़नी चाहिये थी। रिसर्च में कितने ही लोग काम करते हैं। यह हमारी एग्रीकलचर रिसर्च कौंसिल है, सेंटर की कमोडिटीज कमेटी है, बहुत सारी कमेटीज हैं, पुटैटोज की है, राइस की है, जूट की है और कौटन की है और इन के जरिये सब जगह रिसर्च होती है और चूंकि हमारे संविधान में रिसर्च एक ऐसा सबजैक्ट है जो कि स्टेट्स सबजैक्ट है तो स्टेट्स में भी इस तरह की कौंसिलें हैं और स्टेट्स में इस तरह के काम होते हैं। वे लोकल रिसर्चेज करते हैं। फंडामेंटल रिसर्चेज ज्यादातर सेंटर वाले करते हैं। एक तरह से डुप्लीकेशन आफ वर्क होता है और इस के लिये हमेशा सवाल उठता है कि यह डुप्लीकेशन एवायड किया जाय

[पंडित ठाकर दास भार्गव]

ऐस्टिमेट्स कमेटी के सामने भी इस का सवाल आता है कि इन के काम को किस तरह से कोआरडिनेट किया जाय और यह कोआरडिनेशन करने की तरकीबें सोची गईं। इस के लिये साल में कई कई कान्फ्रेन्सेज होती हैं, सैमीनार होते हैं कि वह रिसर्च का वर्क कैसे कोआरडिनेट किया जाय। हमारे जो ए० आई० आर० आई के रिसर्च एक्सपर्टस हैं व वर्कर्स हैं वे सूबों में जाते हैं और वहां जा कर उन की शिकायतों को हल करने की कोशिश करते हैं और सूबे वाले वहां भी आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इतने पर भी जिस रिसर्च का फायदा दूसरे मुल्कों में पहुंचाता है उतना फायदा हमारे देश में नहीं पहुंचता है।

अमरीका के अन्दर एक सेंट्रल रिसर्च कौंसिल है जो कि यह काम करती है। उस के आदमी देश के अन्दर हर खेत को आकर देखते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि फलां खेत में उपज कम होती है तो क्यों होती है और दूसरे जो कीड़े जानवर वगैरह पैदा हो गये हैं और जो कि खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन को कैसे मारा जाय। वे गांव वालों को जरूरी हिदायतें देते हैं और इस तरह से उन को मदद और सलाह दे कर उन की उपज बढ़वाते हैं। इस तरह का हमारे देश में कोई प्रबन्ध नहीं है।

अब जहां तक एनिमल हस्बैंड्री के रिसर्च का सवाल है एक तो उस बारे में कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं है और उसका कोई फायदा नहीं उठाया जाये। आज कोई सायल रिसर्च के वास्ते भेजे तो हालत यह है कि उसके बारे में दो साल तक रिपोर्ट ही नहीं आती है कि वह सायल कैसी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जितना रुपया खर्च हो रहा है उसका पूरा फायदा नहीं मिलता। वैसे रिसर्च तमाम जगहों पर होती है। युनिवरसिटीज में रिसर्च होती है और दीगर कई जगहों पर रिसर्च होती है। हमारी एग्रीकलचर रिसर्च कौंसिल इसके लिए काफी रुपया खर्च करती है लेकिन उसका जितना फायदा होना चाहिए वह नहीं होता है।

पिछली मर्तबा हमारे आनरेबुल मिनिस्टर व कौंसिल ने गवर्नमेंट से यह दरख्वास्त की थी कि यह जो एग्रीकलचरल सैस है यह डबल कर दिया जाये लेकिन वह सैस डबल नहीं हुआ। जब रुपया काफी आप के पास नहीं है, पूरा खर्च नहीं कर सकते तो यह जुर्रत भी नहीं होती कि ऐसी चीजों की भी रिसर्च की जाये जो कि फिलवाकया हमें करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि जितनी स्कीम्स् कौंसिल के रूबरू पिछली दफा आईं उनको मंजूर किया और सब के वास्ते रुपया दे दिया। लेकिन मुझे ताम्मुल नहीं है कि सरकार को इस रेजोलूशन को मान कर कम से कम दूनी रकम देनी चाहिए थी ताकि रिसर्च का काम और जोरों से चलता। अभी हमारे भाई ने यू० के० की फीगर्स दीं, अमरीका की नहीं दीं। मैं खुद इसको मानता हूं और वह फीगर्स भी यही जाहिर करती हैं कि उन देशों में रिसर्चेज पर जितना खर्च किया जाता है उसका एक छोटा सा हिस्सा भी हमारे यहां खर्च नहीं हो रहा है। हमारे मुकाबले में वे देश एग्रीकलचर में बहुत अधिक तरक्की कर गये हैं। असलियत यह है कि हम पिछले बारह वर्ष से ही आजाद हुए हैं और हमने अभी पूरी तरह से इस एग्रीकलचर के मामले पर ध्यान देना शुरू ही किया है वैसे मैंने इसके मुताल्लिक पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि एग्रीकलचर को आज भी उतनी प्रायरिटी और एम्पार्टेंस नहीं मिलती जितनी कि उसको मिलनी चाहिए। मैंने पहले भी इसको कहा था कि एग्रीकलचर

का पोर्टफोलियो ऐसे शख्स को दिया जाता है कि लीस्ट एम्पार्टेंट हो और मैंने उस पर बहुत झगड़ा किया और मैंने तो यहां तक कहा कि हमें इस गल्ले के मसले को वार फुटिंग पर हल करना चाहिए और हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को एग्रीकलचर का कोई खास इल्म नहीं है तो भी मैंने कहा था कि इसकी एम्पार्टेंस बढ़ाने के लिए एग्रीकलचर का पोर्टफोलियो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब सम्हालें । अब मैं आपको बतलाऊं कि दूसरे देशों में एग्रीकलचर को कितना महत्व दिया जाता है । रूस में एक एग्रीकलचर मिनिस्टर ने कुछ गलती कर दी तो उसके लिए उसको इस्तीफा देना पड़ा । अभी जब रूस के प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चेव सूरत गढ़ फार्म देखने गये और उन्होंने हमारी मिकैनाइज्ड फार्मिंग को देख कर कहा कि उस से जो पैदावार हो रही है उसके लिए उन्होंने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि आपकी पैदावार अधिक हो रही है । इस से भी अधिक पैदावार करने की वहां पर गुंजाइश है । आखिर पैदावार मंशा के मुताबिक न बढ़ने की वजह क्या है ? हमने ऐनिमल हस्बेंडरी को बहुत नेगलेक्ट किया है । मेरे तो ख्याल में अगर सब से ज्यादा कोई कंडेम्नेशन है तो वह यही है कि गवर्नमेंट ने ऐनिमल हस्बेंडरी की तरफ कतई तवज्जह नहीं दी और जिसका कि नतीजा यह है कि हमारी गल्ले की पैदावार जितनी बढ़नी चाहिए वह नहीं बढ़ती है ।

अब हमारे सामने एक सवाल है और वह यह कि आया एग्रीकल्चर रिसर्च जो होती है उसका पूरा फायदा होता है या नहीं तो इसको देखने के वास्ते दो चीजें जरूरी हैं । एक तो यह कि जो काम अब तक किया है रिसर्च का वह काफी है या नहीं और दूसरे यह कि जो रिसर्चेज अब तक हुई हैं उन तमाम को कोआरडिनेट करके किसी नतीजे पर पहुंचा गया है या नहीं । मेरी राय यह है कि जितनी भी यह रिसर्चेज जगह जगह मुख्तलिफ जमातें करती हैं उनका ठीक से कोआरडिनेशन नहीं होता है और उसकी वजह से जितना फायदा पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंचता है । एस्टिमेटस कमेटी ने भी कहा था कि इस कोआरडिनेशन की बड़ी जरूरत है ताकि यह डुप्लीकेशन और झगड़ेबाजी चलती है वह दूर हो सके और उसका फायदा देश भर को सही तौर पर हो सके ।

मैं इसमें सहमत हूं कि यह जो कमेटी बनाने की तजवीज है इसमें पार्लियामेंट के मेम्बर्स हों गो कि इसमें शक नहीं कि वह एग्रीकल्चर के एक्सपर्टस नहीं हैं लेकिन तो भी पार्लियामेंट के मेम्बर्स इस कमेटी में लिये जायं और मुझे इसमें शक नहीं है कि उनकी राय जरूर मुफीद साबित होगी । मेरी समझ में इस तरह की कमेटी में कोमेन एलीमेंट की नुमायन्दगी डिजायरेबुल है और उस कमेटी में इन सब बातों पर विचार किया जाय और रिसर्च के साथ साथ जो बहुत जरूरी है वह यह देखना है कि रिसर्च का कोआरडिनेशन कैसे हो । यह इतनी साइंटिफिक बात नहीं है बल्कि यह एक तरह से ठीक से आरगनाइज करने का मामला है कि कैसे उनको कोआरडिनेट किया जाय । इसके अन्दर महज एक्सपर्टस का मामला नहीं है । एक्सपर्टस के साथ साथ इस कमेटी में ऐसे व्यक्ति भी लिये जाने चाहियें जो कि एक कल्चर्ड माइण्ड रखते हों । इस वास्ते मैं समझता हूं कि एक इस तरह की कमेटी कायम करने की बहुत जरूरत है और गवर्नमेंट को इस रेजोलूशन को मान लेना चाहिये ।

16 hrs.

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : उपाध्यक्ष जी, एग्रीकल्चर में बहिनों का हिस्सा तो बहुत होता है । अगर एक पुरुष खेत में

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

काम करता है तो उसके पीछे दस औरत काम करती हैं। अगर ऐसा न हो तो काम नहीं चल सकता। मैं कुछ किताबों से नहीं कहना चाहती। मैं अपने तजरबे की बात कहना चाहती हूं।

अभी अभी भाई भार्गव जी बोले थे। उनकी भाषा में एक शक्ति थी। मैं चाहती हूं कि वह भाषा सब तरफ गूंजे और उससे सब को बल मिले।

एग्रीकल्चर पर जो पैसा खर्च किया जाता है वह खराब नहीं जाता। जैसे अगर आप गाय को ज्यादा दान देंगे तो वह ज्यादा दूध देगी, इसी तरह से अगर आप एग्रीकल्चर पर ज्यादा रुपया खर्च करेंगे तो आपको उससे अधिक पैदावार मिलेगी। एग्रीकल्चरल रिसर्च बहुत जरूरी चीज है, इसलिये मैं इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट करती हूं।

तीन चार दिन से ये बादल देख कर मेरा जी घबरा रहा है। मैं मध्य प्रदेश से लखनऊ गाड़ी में आयी और मैंने देखा कि हजारों मील में गेहूं की फसल खड़ी है। लेकिन यह जो बादल हो रहे हैं इनसे न मालूम कहां कहां वह फसल खराब हो जाएगी। मुझे आपने बीच में थोड़ा सा समय दिया है, मुझे मुसलसिल वक्त नहीं दिया जाता। इसलिये मैं थोड़े में अपनी बात कहना चाहती हूं।

अगर शहर में एक घर जलने लगता है तो टन से घण्टी बजती है और फायर इंजिन उसको बुझाने के लिये दौड़ता है। आप इस काम के लिये १२ महीने लाखों रुपया खर्च करके पूरा इन्तिजाम रखते हैं। इसी तरह का इन्तिजाम आप को गांवों के लिये करना चाहिये जहां देश की बड़ी जनसंख्या रहती है। वहां पर कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। ऐसे समय में हमको अपनी पालियामेंट बन्द करके और सब कुछ बन्द करके उन लोगों की मदद के लिये जाना चाहिये। अगर किसान का खेत समय पर नहीं काटा जाता और उस पर पानी पड़ जाता है तो गल्ला खाने लायक नहीं रहता। गल्ला ही तो हमारा असली धन है। इसके लिये किसान पैसा लगाता है, काम करता है लेकिन जब काटने का वक्त आता है तो कई बार फसल नष्ट हो जाती है, जैसे खाना खाते वक्त उसमें मक्खी गिर जाए और खाने को खराब कर दे। इस वास्ते मैं कहना चाहती हूं कि गांवों की तरफ आपकी बहुत ज्यादा तवज्जह होनी चाहिये। आपकी पुलिस क्या करती है। इसको गांवों में जाकर वहां पर लोगों की सेवा करनी चाहिये और उनके लिये इन्तिजाम करना चाहिये। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो लोगों को खाने के लिये गिजा कम मिलेगी।

हर इलाके पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिये। जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा कि इस काम के लिये एक खास मिनिस्टर होना चाहिये जिसको इस काम का तजरबा हो। उसको अपना काम करने के लिये कैबिनेट की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। जब आवश्यकता हो तो वह जरूरी कार्रवाई कर सके। आपके प्लानिंग कमीशन में जो बड़े बड़े भाई बैठे हैं उनको मालूम नहीं कि एग्रीकल्चर क्या चीज है। जिस मिनिस्टर को एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो दिया जाए उसको एग्रीकल्चर का तजरबा होना चाहिये। कमेटी में जो लोग रखे जाएं उनको एग्रीकल्चर का तजरबा होना चाहिये। इस तरह नहीं करना चाहिये कि लक्ष्मीबाई को हैल्थ कमेटी में रख दिया जाए जो कि डाक्टर नहीं है, वह तो लोगों को मारना शुरू कर देगी। इस कमेटी में कुछ एग्रीकल्चुरिस्ट लेने चाहियें।

मैं इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट करती हूं।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I heartily support the Resolution which has been put forward by Shri Inder J. Malhotra. It is good that we have a graduate of Agriculture in our Lok Sabha who

can focus our attention on scientific and technical problems relating to agriculture. His Resolution is very simple and workable. His Resolution if put to practice can achieve much. I find that some persons have opposed that Resolution.

At one time I was a member of the governing body of the Indian Council of Scientific and Industrial Research. That Council runs many laboratories and they are spread over all over India. They do research in fundamental science and also in applied science. A gentleman was invited from outside India to review the working of those laboratories. After he had produced a report, that report was entrusted to some members of the governing body of which I also happened to be one though I am not a scientist. We went through the report and gave practical suggestions for the implementation of that report. I think that is the kind of procedure which should be applied to the working of the Indian Council of Agricultural Research. There should be a committee appointed for the assessment of its work, for the evaluation of its work. That committee can also, I think, do what was talked about by the hon. Member from Hissar: the work of coordination. What I find is that so far as agricultural research is concerned, our country is very adequately supplied. There is research going on in so many institutions. Then there are commodity committees and all kinds of things. It is not that we are not paying proper attention to agricultural research. We are doing that. But the difficulty is that we never take stock of what we have done. We never try to know from where we are starting, where we are now and in which direction we are to go in future. Now, that work can be done only by an assessment committee.

Another problem that arises is this. The Council of Scientific and Industrial Research evolved a plan for having vigyan mandirs. What are those vigyan mandirs? You can call them scientific show-rooms or scientific exhibition which were to be located all over India. Those vigyan mandirs are there. They bring home to the minds of the people, to the minds of the average citizen of India what scientific research is going on. It is not for telling them about esoteric aspects of scientific research but about the workable aspects of scientific research. Now, I do not think we have many vigyan mandirs in our country at present. But the Minister of Scientific and Cultural Affairs appointed recently a committee to assess the work of those vigyan mandirs. We have extension service centres. These extension centres are there to act as a kind of a bridge between these agricultural research institutions and the average farmer. They are going to be a kind of conveyor-belt between these two agencies. But we know nothing about the extension service centres. Therefore, I think that as you have got a committee for assessing the work of Vigyan Mandirs and evaluating the work of the scientific laboratories, you must have a committee to take notice of what has been done by way of agricultural research so far. As Indians we feel proud of our agricultural scientists. I must say their work has been of great value even to the average farmer. I do not talk of people who do farming on a big scale, like the hon. Member from Rohtak. I go to a village and I find on the walls of that village written in very big and bold letters: "You should use this kind of wheat for your land or this kind of cotton or sugar or manure for your land." Who has told us all these things? These things have not fallen from America or from Canada or Great Britain. If we come to know that this kind of cotton or wheat is suited to our country, the credit for all this goes to the Indian Council of Agricultural Research.

What I would say is this. Self-examination has never done anybody any harm. Introspection has never don any harm to anybody. It has done good to individuals and institutions and parties and countries. So, I think we should adopt this Resolution of Shri Malhotra. I would, however, say

[Shri D. C. Sharma]

that the number of Members of Parliament should be kept to the minimum. Unless he be technically qualified, if anybody voluntarily offered himself for the membership on that committee, he should be definitely ruled out but that is not the point.

An Hon. Member: Indirectly, Shri D. C. Sharma should be there!

Shri D. C. Sharma: There is need for this kind of a committee. Our agriculture is like a patient who has too many physicians. It is like a sick man who is getting medicine from a homoepath, allopath, naturopath and from all kinds of physicians. Our agriculture is in that state of affairs:

मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की

As you know, Sir, there is no dearth of committees and commissions. There are two Ministries who are specialising in the appointment of committees and commissions. One of them is the Ministry of Agriculture and the other, the Ministry of Education. I do not know who should be given the first prize. Both of them are running a race so far as the appointment of committees and commissions is concerned. But the reports are never implemented or dovetailed or co-ordinated. The difficulty is not that they do not have reports. The difficulty is that their zeal for implementation is not enough. Agricultural production is one thing and agricultural research is another thing. The latter is a technical matter while the former is a matter of muscles and knowledge and all that kind of thing. Therefore, to bring the two together it is necessary that we should bring home to the minds of these peasants the great lessons of research and for that I would say that there should be an extension of the extension service. If they have Vigyan Mandirs, I think they should have extension service centres as broadly diffused in the country as possible.

Another thing that I would like to say is that agriculture depends upon the farmer. All honour to him. I bow to the Indian farmer. He is a great defender of our country. Agricultural production also depends upon agricultural research. Also, agriculture depends upon a net-work of agricultural schools, colleges and universities.

The most unfortunate thing is this, that when people go to study agriculture either at the school or at a college or university they get about 90 per cent. of theory and not even 10 per cent. of practice. Our agricultural education all along the line, at all levels is theory-ridden, it is impractical, it is also out of date. Look at the syllabi of schools which are imparting instruction in agriculture.

I would, therefore, say, that while we need agricultural education of the most up-to-date kind, while we need our farmers to have the latest kind of knowledge, we should see to it that agricultural research gets the proper share. Sir, it is the aim of progressive countries that they take agricultural research to the door of the farmer, to the field of the farmer, to the cottage of the farmer, to the home of the farmer. I think, unless agricultural research performs that role, in my opinion, the future of agriculture is not going to be as bright as we want it to be.

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Mover has, by the resolution which he has moved asked for the appointment of a committee consisting of Members of Parliament, well known agriculturists of the country and agricultural experts to evaluate the agricultural research programme in the country and to suggest ways and means for better co-ordination and improvement.

I am glad, Sir, the House got an opportunity of expressing its views on the quantum of research we have in the country so far as agriculture is concerned, as well as the adequacy

of funds that we provide and the results we obtain.

Naturally, the hon. Mover was very critical of all that we are doing. He was critical of the I.A.R.I. institute in Pusa, where he seems to have served sometime ago. He was critical of the I.C.A.R., and he pointed out many deficiencies and defects to answer which I do not think I have got sufficient time with me. He also complained that no results had been produced. I was sorry to see that a person who knows what agricultural education is and who has known also the working of the institute personally should say this. I should have expected him to be in better touch with the actual progress of research as well as production in the country.

I am sorry to say that he picked out, so far as increase in wheat production is concerned, years which probably suited his argument only. Actually, it is a matter of concrete fact that wheat production in the country has increased from 6·3 million tons to 9·7 million tons. The average also has increased, not merely the total wheat produced. Of course, I know it is insufficient for the needs of the country. But that apart, if we want to confine our attention merely to the progress of agricultural production, it will have to be admitted that not only in so far as the bulk production is concerned we have more than 50 per cent. of larger production, but in the average per acre production also there has been a very substantial increase of near about 40 per cent., if not more.

So, Sir, I am afraid some of the bases on which the hon. Member proceeded have not been chosen by him very happily, although there is a consensus of opinion in the House that we should from time to time evaluate what we have done and find out if there is any lack of co-ordination and if we are getting the best results out of the expenditure that we are incurring and so on. As my learned friend Shri D. C. Sharma pointed out, self-examination is a very good thing. In fact, the proposal before the Government was of a wider nature. When my hon. friend the Deputy Minister replied to a question the other day, he mentioned that the Government was thinking of a committee or commission which would have very broad terms of reference and would take up a much bigger task than the kind of committee which my hon. friend the Mover has suggested. We have not taken a final decision. That could be taken only when we ascertain and lay down what should be the terms of examination by this commission. Then we must circulate it to the State Governments to see if they have any suggestions to make. Then the various Ministries in the Government of India have to go through it and finally the Cabinet has to decide. So, there is no question of going back as my hon. friend Ch. Ranbir Singh suspected. He said:

कुछ पीछे हटने का सवाल है। इस में हटने का कोई सवाल नहीं है। हम वहां हटे ही नहीं हैं, जहां आप समझते हैं कि हम चले गये हैं।

We have not yet reached that stage which Ch. Ranbir Singh thought we had already attained. We have not taken as yet any positive decision that there should be a commission. We are still considering and examining the various aspects. So, the proposal of my hon. friend becomes a part of our wider thinking.

Fortunately we have had one of the best commissions that probably any country has ever had on agriculture although it was about 32 years ago. We owe our progress to that Commission and its recommendations and we have made considerable progress both with respect to agricultural research as well as agricultural production. What was the scope of that particular commission? It had a very wide scope. If the House would like to know the scope and work of that commission, I should mention these: the betterment of the conditions of the farmers and the rural areas, and with that end in view, to examine almost everything

[Dr P. S. Deshmukh]

bearing upon the life and prosperity of the rural areas—the farming community. It included forestry; it included co-operation; it included animal husbandry. It comprised every possible thing and all these aspects in a very significant way and not merely by way of a passing reference.

So, at the present time, I think it will comfort my hon. friend, the Mover of the resolution, if he knows that we have not given up this idea of a bigger committee. Nonetheless, we are also not irrevocably committed to it. We are still at the stage of consideration and nobody should infer either way—that we have promised to appoint a commission, that we are going back or that we are retracing our step and not going to have a commission.

So far as points made by the Mover of the resolution are concerned, if the only objective is to find out what is the degree of co-ordination we should have, whether our institutions are working properly, whether the scientists are getting proper encouragement or not, I would respectfully like to submit that these are things which are under daily examination more or less. Fortunately, at least during the five or six years since I have been in charge of the portfolio of agriculture, a large number of farmer-members are present in every committee, and I am glad to say and I am proud to say that all these farmer-members are justifying their presence and are contributing a great deal to the wisdom of the whole committee and even of the research organisations because they bring a practical view-point to bear upon the questions.

At present the I.C.A.R. is composed of not only scientists— the top-most and best scientists we have in the country—but also side by side many administrators whose duty it is to see that our research programmes work properly. On the I.C.A.R. are represented also hon. Members of this House. Thakurdasji has been there for years and years and he does take very keen interest in the work of the I.C.A.R. So, the sort of committee which my hon. friend is suggesting could really be a sub-committee of the I.C.A.R., where already Parliament Members are there and farmers are also there. So, we will not have to bother much. In fact, I am not in great favour of it, because at every meeting of the I.C.A.R., we do try to review the progress we have made during the previous year and what remains to be done.

I would like to inform my hon. friend, the Mover, that during the last few years, under the somewhat dynamic leadership of Dr. Randhawa, as Vice-President of I.C.A.R., we have made very good progress and the scope of work of I.C.A.R. has been tremendously extended. The sort of conferences we are holding now were unknown, where the farmers who grow those particular crops and the research workers meet. Such conferences have been organised during the last three or four years regularly. There was a conference of the *jowar* research workers and the *jowar* producers. We have now set out to hold these meetings, with the result that we are getting out of the existing research facilities far more than we did at any previous time. There is, undoubtedly, very great scope for expansion of our research programme. In spite of the fact that I am holding this portfolio, I am one who has advocated that in our country with such a vast area to cover and so many crops to grow, the research programme is extremely inadequate and many of our schemes do not fructify. Many of the schemes which are sanctioned even by the I.C.A.R. do not actually get implemented, because we depend on the States to provide a matching contribution and the States find it difficult to find money. So, many of the schemes which are proposed and accepted by the I.C.A.R. do not get going.

Therefore, there are difficulties and we are conscious of them. But there is nothing very much of which we do not know. So, I would like to say that we are examining the whole question. How did we come to the question of the appointment of an agricultural commission? That was because of the Nalagarh Committee's recommendations. That committee had recommended a five-yearly examination by the States as well as the Central Government of the work in the field of agriculture. It referred not only to research, but also to the administrative difficulties and the policies that were made in the States and the Centre.

The reason why I called a meeting of the officers and was of the view that it would be worthwhile appointing a commission was, that very often our agricultural policies are made in an *ad hoc* manner without a proper introspection and proper examination. The policy-makers, so far as agriculture is concerned, are also a sort of back-benchers and not quite exactly those people who should be in charge of it. Very often we have got to dovetail our policies one with the other; we have to think of finance, the Planning Commission and so on. So, we felt that there was a certain amount of need to find out how the agricultural policies should be laid down and how they should be implemented. These were the broad aspects which were before me when we thought of this agricultural commission.

The purpose of this resolution is a very considerably limited one, one which really speaking has been before us and has been examined from time to time. For instance, this joint Indo-American team has examined most of the aspects which my hon. friend has just proposed. But I do not wish to say that this is the last word and there is nothing to be done. What the Mover has said could be examined by the standing committee of the I.C.A.R. itself and they could, if found necessary, constitute a committee out of themselves or take other people also and examine the whole thing. But I do not want to commit myself at this stage, either with respect to research work or the other matters. The whole subject is under consideration. In that view I hope my hon. friend will not press his Resolution.

We have also recently appointed an Agricultural Production Board. I might categorically and in a summary manner say that the question of co-ordination has not been absent from our mind at any stage. We have always been paying attention to it and trying to improve upon what exists. Apart from the I.A.R.I., we have a Board of Agriculture and a separate Board of Animal Husbandry. Thus such matters as what remains to be done, what are the future programmes, are considered from year to year and from meeting to meeting.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): May I know the composition of the Agricultural Board? Is any agriculturist included in that Board?

Dr. P. S. Deshmukh: The Agriculture Board I am referring to is the Ministry's Board where agriculturists are included. This Board meets, I think, once in two years. The Board I referred to earlier is an official board is called The Agricultural Production Board. This Board is different from the Agriculture Board, to which I referred later.

Coming to the criticism of my friend that the schemes were not being technically examined and so on, I do not think this criticism is correct Every scheme that is proposed by the State Governments, or universities, or the agricultural colleges is examined by experts, the biggest experts we have in the country. I am sure Pandit Thakur Das Bhargava will bear me out that every scheme is considered sympathetically by technicians and examined whether it is worthwhile or not. The I.C.A.R., although it has not got unlimited funds, tries

[Dr P. S. Deshmukh]

to take up every item of research which is worthwhile.

We have also recently expanded the scope of research very considerably. We have established more research sub-stations. As my friend from Himachal Pradesh has stated, a good deal of research in horticulture and various other branches is taking place. We are also setting up a large number of regional research centres. Naturally, because we achieved independence late these things were not attended to prior to that. But, as time goes on, every aspect of agricultural research is being attended to better and better.

As I said, there are many more institutions to be set up. It is our aim to have far more sub-stations and regional institutions. So many are being set up. The question of soil analysis was referred to by Pandit Thakur Das Bhargava. Three years ago, it was unknown and was not at all being attempted. During the last two years we have been able to establish 24 soil analysis laboratories and any farmer can send a sample of his soil and get it analysed free of cost. Of course, there are defects. It has not been properly advertised and people do not know how to take samples for testing etc.

All the same, there is no aspect of agricultural improvement which has escaped our attention and there is no time when we have not tried to pay attention to achieve better co-ordination and to get the best out of our institutes. I would not like to take more time of the House, but I would like to say that to condemn the I.A.R.I. in sweeping terms is not at all correct. The I.A.R.I. has done glorious work which has been applauded by every scientist in the world. There are many other aspects of work in which also our scientists have done excellent work, and the results have also gone to the farmers. It was only recently that we organised the Extension Directorate. For what purpose? With the intention that the results of the research should flow to the farmers. Of course, it will take some time before we can say that we are fully satisfied with it, but no attempt is lacking on our part and we are doing all those things which have been suggested here. I, therefore, hope that the hon. Member will not press his Resolution; otherwise, I will have to oppose it.

Shri Inder J. Malhotra: I am glad to know from the hon. Minister that in the past they have done well and that in the future as well Government would be considering and examining the question of co-ordination by various agricultural committees. But I am afraid that the hon. Minister has not followed the main point of my Resolution. My point is that such a committee is necessary. Why? To examine the question whether we should have the I.C.A.R. in our country, whether we should have agricultural boards in our country, whether we should have an agricultural commission in our country and whether agricultural research be handled only by the Centre or by the States also. I am afraid this point has been overlooked.

As far as the question of IARI is concerned, I would only like to submit, through you, to the hon. Minister that he visits that institute as a Minister. I have been a student of that institute. My class-fellows and colleagues are working there. I go there as a colleague. So I am in a better position to know what is going on inside that institution as compared to the hon. Minister. I would still impress.... (*Interruption*).

Dr. P. S. Deshmukh: I am prepared to take notice of these defects and see that they are rectified. For this no committee is necessary. We will take note of all the various defects, which my hon. friend has pointed out, and examine them without a committee.

Shri Inder J. Malhotra: For the assurance received from the hon. Minister I am thankful to him as also to other hon. colleagues for their support to this Resolution. In view of the assurance I withdraw the Resolution.

Mr. Deputy-Speaker: Has the hon. Member leave to withdraw his resolution?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

16.38 hrs.

RESOLUTION *RE*: RENAMING OF ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

Shri Subiman Ghose (Burdwan): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I move that—

> This House is of opinion that the Andaman and Nicobar Islands be named as 'Swadesh Dwip, and 'Swaraj Dwip' respectively.

There is one amendment to this Resolution. Shri Chaudhuri has submitted an amendment to the effect that instead of 'Swadesh Dwip' it be named 'Sahid Dwip'. In the beginning I want to say that I am ready to accept that amendment. On the basis that he will move it I will advance with my speech.

At the outset let me make myself very clear by saying that this Resolution is not the outcome of an idle thought or any fanciful suggestion which I am asking the Government to accept. Its name was given by the provisional government of free India which was established in Far East Asia on the 21st October, 1943. By moving this Resolution I am offering an opportunity to the Government to liquidate a fraction of the huge debt that the country owes to Azad Hind Fauj and its supreme commander. What are the achievements of Azad Hind Fauj? That is known to everyone, old, young and child, in India. It is not for me to develop that point here. But I will draw the attention of the House to the writing of one British author and that will be sufficient. He says:

> "There can be thus little doubt that the Indian National Army not in its unhappy career on the battlefield but in its thunderous disintegration hastened the end of the British rule in India."

That is the writing of a Britisher who fought in Far East Asia. The Britishers admitted that it was the activities of the Azad Hind Fauj that hastened the end of British rule. I do not know whether the Government has acknowledged that anywhere except for some expression of pious wish or anything like that.

Before I press my point, I want to give a little bit of the history of these islands.

Mr. Deputy-Speaker: I may bring to the notice of the hon. Member that the whole time allotted to the Resolution is one hour. So, he will have his share of only about 15 minutes; 15 minutes may be required by the Minister, and half an hour should be allowed to the other Members to participate in the discussion.

Shri Subiman Ghose: According to British historians, the name of the Andaman islands has always been some form of Andaman, which more than probably represents *Handuman*, the Malayan form of Hanuman, treating the island as the abode of the Hindu mythological monkey people. Regarding the Nicobar islands, the British historians say that it is the land of the naked, and therefore it has been named as Nicobar islands. Be that as it may, we find that near about these islands there were piracies, shipwrecks and distressed crews, and in 1788 the East India Company commissioned the great surveyor, Archibald Blair, to start a settlement, and the capital of the islands, Port Blair, was named after him.